राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / मा.द. / 56002 / 2014 जयपुर, दिनांक : 26 DEC 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत विशेष योग्यजनों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप कार्य आवंटन के संबन्ध में।**
सदर्भः– **विभागीय पत्रांक एफ4(16)ग्रावि / नरेगा / मेट–II / 09–10 दिनांक 12.11.2009**

महोदय,

आयुक्त विशेष योग्यजन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यो पर विशेष योग्यजनों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य नही दिया जा रहा है जिसके कारण उन्हें जीवनयापन में कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। विभाग द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा विशेष योग्यजनों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप कार्यो पर नियोजन किये जाने के निर्देश जारी किये गये है। इसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2013 के बिन्दु संख्या 9.3.6, 9.3.8 तथा 9.9 में विशेष योग्यजनों से कराये जाने वाले कार्यो का विस्तृत विवरण दिया गया है।

इस संबन्ध में निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी संदर्भित पत्र तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त पैरा में वर्णित निर्देशों (प्रति संलग्न) के अनुरूप विशेष योग्यजनों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप कार्यो पर नियोजन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायी जावे एवं निर्देशों की अवहेलना करने वाले कार्मिकों के विरूद्व महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 के तहत कार्यवाही की जावे।

भवदीय
26/12/16
(राजीव सिंह ठाकुर)
सचिव, ग्रामीण विकास

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. आयुक्त, ईजीएस।
4. आयुक्त, विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी–3 / 1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी, जयपुर।
5. उपायुक्त (प्रशिक्षण) पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद बाडमेर।
8. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस